

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित उपन्यास/विषयों में रखा जायेगा ।
- 191 उपरत शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि :-

- 111 80वीं संशोधन योजना लागू करके शासन को पालनमय अयतन कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय क्ला 6 से आगे संवाहित किया जायेगा, नर्सरी/प्राइमरी स्थापने संस्था में संवाहित नहीं की जायेगी और न ही इसका भाग होंगी ।

3- उपरत प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह वादा जाता है कि संस्था द्वारा उपरत प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महोदय,

। ज्योति बालिका ।
संयुक्त सचिव ।

पत्र सं० 132111/15-7-1957 तदतिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, ~~आगरा~~ मथुरा ।
- 4- निरीक्षक, आर्य भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, रतनलाल फूलकटोरा देवी सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर गोवर्धन रोड मथुरा ।

Principal

Ratanlal Phool Katori Devi
Saraswati Balika Vidya Mandir
Secondary School
Mathura

[Signature]

। ज्योति बालिका ।
संयुक्त सचिव ।

९